



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

अमरोहा
धनौरा
6003140011676
060131403120

जारी दिनांक: 30/07/2014

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री
सिवानी
गाम
तहसील
जिला

कविन्द्र सिंह
अमरोहा
पोस्ट सुपौता कला
देहरा कादरबक्का
धनौरा
अमरोहा



उत्तर प्रदेश राज्य की कुम्हार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि - कविन्द्र सिंह पूर्णतः अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची ३ (जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (सशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) एवं जो उपर्युक्त लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (सशोधन) अधिनियम २००२ एवं शान्तिनगर संख्या २२/१६९२ टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आरक्षित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास घर अधिनियम १९५७ से तथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी करने केन्द्र: सुबोधणी 04 तहसील धनौरा
पद: सहायक सचिव, केन्द्र प्रभारी
स्थान: तहसील धनौरा के सामने, धनौरा, Amroha
दिनांक: 30/07/2014
हस्ताक्षर एवं महर

Duly Signed by
Jitendra Pal
(SH-1614EFD124A45DCB7F82)

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
धनौरा, अमरोहा
दिनांक: 30/07/2014

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से प्रमाणित है एवं सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://mp.mca.gov.in> पर सत्यापित किया जा सकता है।